उत्तर प्रदेश शासन

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1

संख्या-102/2017/2237/71-1-2017-जी-220/2017

लखनऊः दिनांक 14 अगस्त, 2017

<u>अधिसूचना</u>

गत दिनों बाबा राघवदास मेडिकल कालेज, गोरखपुर के बाल रोग विभाग में बच्चों की आकस्मिक मृत्यु हुई। बच्चों की मृत्यु की संख्या तथा कारणों के सम्बन्ध में प्रिन्ट मीडिया एवं इलेक्ट्रानिक मीडिया द्वारा विभिन्न समाचार प्रकाशित किये गये। राज्य सरकार का मत है कि उक्त घटना दुर्भाग्यपूर्ण है तथा अति-गम्भीर है, जिसके हर पहलू की सम्यक जांच किये जाने की आवश्यकता है ताकि दोषी व्यक्तियों को कड़ा दण्ड दिया जा सके तथा ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकी जा सके।

2- उक्त घटना की पृष्ठभूमि, घटना के कारण तथा इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति रोकने के लिए सुझाव देने हेतु सम्यक जांच हेतु मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में श्री आलोक कुमार, सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, श्री मुकेश मित्तल, सचिव, वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन तथा डा0 हेमचन्द्र, मेडिकल सुपरिन्टेन्डेंट, एस0जी0पी0जी0आई0, लखनऊ की एक समिति गठित की जाती है, जो निम्न बिन्दुओं के सम्बन्ध में विस्तृत जांच कर अपनी आख्या 05 दिनों में देगीः-

1. बाल रोग विभाग, बाबा राघवदास मेडिकल कालेज, गोरखपुर में गत दिनों हुयी बच्चों की मृत्यु का घटनाक्रम एवं पृष्ठभूमि।
2. उक्त मृत्यु की घटना के कारण एवं कारक अभिदाय।
3. उक्त कारणों के लिए जिम्मेदार अधिकारियों/व्यक्तियों के नाम।
4. दोषी व्यक्तियों के विरूद्ध प्रस्तावित कार्यवाही।
5. ऐसी घटनायें पुनः न हों इसके लिए तात्कालिक एवं दीर्घकालिक व्यावहारिक सुझाव।

3- उक्त जांच कार्य विधिवत सम्पन्न करने हेतु चिकित्सा स्वास्थ्य/चिकित्सा शिक्षा, गृह विभाग, नगर विकास विभाग एवं गोरखपुर जिला प्रशासन के अधिकारीगण सम्बन्धित अभिलेख उपलब्ध कराने में आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे।

4- समिति से अपेक्षा की जाती है कि वह उक्त जांच कार्य प्राथमिकता के आधार पर यथा आवश्यक साक्ष्य आदि लेते हुए अपनी जांच आख्या प्रमाणिक अभिलेखों एवं स्पष्ट संस्तुति सहित दिनांक 20 अगस्त, 2017 तक शासन को प्रस्तुत करेगी।

आज्ञा से,

डा0 अनिता भटनागर जैन
अपर मुख्य सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-102/2017/2237(1)/71-1-2017 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्य मंत्री जी, उ0प्र0।
2. अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग , उ0प्र0 शासन।
3. प्रमुख सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, उ0प्र0 शासन।
4. प्रमुख सचिव, गृह विभाग, उ0प्र0 शासन।
5. प्रमुख सचिव, सूचना विभाग, उ0प्र0 शासन।
6. आयुक्त, गोरखपुर मण्डल, गोरखपुर।
7. जिलाधिकारी, गोरखपुर।
8. समिति के अध्यक्ष/सदस्यगण।
9. प्रमुख स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।

आज्ञा से,

(**संजय कुमार उपाध्याय**)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।